कार्यालय, नगर पंचायत बरमकेला

जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ0ग0)

E-mail- cmobkl@gmail.com

–: ई–निविदा की नियम एवं शर्तें :–

01. ई–निविदा सूचना क्रमांक 1931347 दिनांक 11/06/26 के लिए मान्य होगा।

02. ई–निविदा में ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज स्व प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करने के उपरांत हार्डकॉपी पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित समय में कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य होगा :–

   (क) वैध ठेकेदारी पंजीयन की जीवित प्रमाण–पत्र की प्रति।

   (ख) पैन कार्ड की छायाप्रति, जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति।

   (ग) निर्धारित बैंक साल्वेंसी सर्टिफिकेट की प्रति (जो निविदा जमा करने की तिथि तक वैध हो)।

   (घ) इनकम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति (विगत 03 वर्ष का)

   (ड़)सिविल डिप्लोमा/डिग्री इंजीनीयर का अंकसूची एवं सिवल इंजीनियर द्वारा ठेकेदार के साथ कार्य करने संबंधी सहमती पत्र

   (च) अन्य सहपत्र।

03. निविदा हेतु लिफाफा "ए" में अमानत राशि जो एफ.डी.आर./टी.डी.आर. निविदा प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं निर्धारित प्रारूप में 100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटराईज्ड शपथ पत्र होगा एवं लिफाफा "बी" में अन्य वांछित दस्तावेज की स्वच्छ प्रति रखा जावे। दोनों लिफाफा में डालकर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेजी जावे साथ ही मुख्य लिफाफा के ऊपर कार्य का नाम या कार्य का सरल क्रमांक लिखा होना अनिवार्य होगा। पहले लिफाफा "ए" खोला जायेगा। अमानत राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. नहीं होने या सही नहीं होने पर लिफाफा "बी" नहीं खोला जावेगा। बड़े लिफाफे के ऊपर कार्य क्रमांक एवं नाम सुस्पष्ट लिखा होना अनिवार्य होगा तथा एफ.डी.आर./टी.डी.आर. नहीं होने या सही नहीं होने की स्थिति में भविष्य में निविदा प्रक्रिया हेतु प्रतिबंधित किया जायेगा।

04. पुराने एफ.डी.आर./टी.डी.आर. एवं पूर्व में जमा धरोहर राशि का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. नहीं मान्य किया जावेगा और न हीं समायोजन किया जावेगा।

05. छत्तीसगढ़ कार्य विभाग के मेनुअल अनुसार एम–30 सी.सी.रोड़ निर्माण कार्य के पूर्व एम–30 कांक्रीट मिक्स डिजाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा कार्य के दौरान आवश्यक मटेरियल टेस्टिंग कराया जावेगा, जिसका शुल्क ठेकदार को वहन करना होगा।

06. अनुबंध न करने या कार्य प्रारम्भ न करने के स्थिति में अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी बरमकेला द्वारा ठेका निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अमानत राशि राजसात करते हुए रिस्क एवं कास्ट में नियमानुसार पुनः निविदा की कार्यवाही की जावेगी।

07. निविदा मे भाग लेने वाले ठेकेदार नगर पंचायत के किसी भी करो का बकायादार नही होना चाहिए इस हेतु उनको नगर पंचायत कार्यालय से बकाया नही प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

08. निविदा मे भाग लेने वाले ठेकेदारो को इस निकाय के पूर्व मे जारी कार्यादेश के कार्य आज पर्यंत तक अप्रारंभ है वे इस निविदा मे भाग लेने के पात्र नही होंगे।

09. समस्त शासकीय कर ठेकेदार के द्वारा देय होगा।

10. कार्य को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने का अधिकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी को होगा। निरस्त कार्यो हेतु जमा की गई आवेदन/निविदा प्रपत्र शुल्क राशि वापसी योग्य नहीं होगी।

11. प्रत्येक रनिंग बिल से शासन के निर्देश एवं मापदण्ड़ अनुसार कटौती की जावेगी।

12. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं की जावेगी।
13. निविदा में किसी भी सुस्पष्ट भाग अथवा निविदा में संशोधन/स्थगन का अधिकार सक्षम अधिकारी (मुख्य नगरपालिका अधिकारी) का होगा।
14. सम्पादित कार्य के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की रिकवरी होती है, तो इसकी वसूली संबंधित ठेकेदार से की जावेगी।
15. निविदाकार के द्वारा कार्य पर रखे मजदूरों का कार्य स्थल पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। नगर पंचायत की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी।
16. निविदा जिसकी स्वीकृति की जावेगी के उपरान्त ठेकेदार के रूप में संदर्भित विहित प्रारूप में प्राधिकारी द्वारा उसकी निविदा स्वीकार किए जाने की सूचना दिनांक से 14 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन करेगा। उसमें विफल रहने का परिणाम अग्रीम धन का राजसात एवं निविदा निरस्ती के रूप में होगा।
17. निविदा सूचना पत्र की सभी शर्तें पंजीकृत ठेकदार पर विहित प्रारूप में संविदा की सभी के अलावा बंधनकारी होगा।
18. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
19. निविदा प्रपत्र "अ" (सहपत्र सहित) भी उक्त निविदा के अभिन्न अंग होंगे।
20. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बगैर कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का होगा।
21. ठेकेदार के बिल से 05 प्रतिशत की राशि सुरक्षानिधि के रूप में में रोकी जावेगी, रोकी गई राशि का भुगतान नियमानुसार किया जावेगा।
22. निविदा दर एस.ओ.आर. से 10 प्रतिशत कम से अधिक होने की दशा में अंतर की राशि निविदा खोले जाने की तिथि से 15 दिवस के भीतर स्वमेव जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए ठेकेदार को आगामी 01 वर्ष के लिए निकाय में किसी भी प्रकार के निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कार्यवाही की जावेगी।
23. कार्य के चल देयक में कुल देयक का 85 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान नहीं कियां जावेगा।
24. राशि उपलब्धता के आधार पर भुगतान की जावेगी। देयक भुगतान के अभाव में यदि ठेकेदार द्वारा कार्य रोका जाता है तो अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
25. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में अनुबंध अनुसार दण्ड़ राशि की कटौती की जावेगी।
26. अमानत राशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त एफ.डी.आर./टी.डी.आर. के रूप में स्वीकार किये जावेंगे।
27. किसी भी निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि वे निविदा से संबंधित समस्त नियम, शर्तें एवं कार्य स्थल का अवलोकन कर समझ चुके हैं तथा उन्हें समस्त नियम शर्तें मान्य हैं।

(परिषद की बैठक में अनुमोदित)

उप अभियंता	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पंचायत बरमकेला	नगर पंचायत बरमकेला	नगर पंचायत बरमकेला
जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़	जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ	जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ

उप अभियंता
नगर पंचायत बरमकेला
जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़(छं.ग.